# न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
## पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

**अपील संख्याः 167 / 2015 एल.आर.एक्ट** **GCMS No. 2015 / 00012**

1. आशादेवी पत्नी श्री प्रेमदान चारण निवासी रातानाडा हाल आबाद चक हाल आबाद चक 1 ए आर एम तहसील कोलायत नं. 1।

– अपीलान्ट

**बनाम**

1. स्टेट जरिए उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं. 1
2. उपवन सरंक्षक स्टेज II खण्ड I बीकानेर।

– रेस्पोन्डेंट

**उपस्थितः** श्री दिनेश गहलोत — अभिभाषक अपीलांट्स

राजकीय अभिभाषक — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

## निर्णय

दिनांक 31.12.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76(1) के अन्तर्गत न्यायालय उपनिवेशन तहसीलदार (इं.गा.न.प) कोलायत नं. 1 के निर्णय दिनांक 19.02.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादगत भूमि उपनिवेशन तहसील कोलायत नं. 1 चक 1 एएमआर के मु.नं. 105 / 1 की 9 बीघा भूमि जरिये इंतकाल संख्या 86 दिनांक 28.04.05 के आधार पर अपीलांट का नाम खातेदार टीनेन्ट के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में चलता रहा। उपनिवेशन तहसीलदार (इं. गा.न.प) कोलायत नं. 1 ने इंतकाल संख्या 141 दिनांक 26.03.2008 द्वारा अपीलांट का नाम हटाकर वन विभाग के नाम दर्ज कर दिया गया। उक्त इंतकाल संख्या 141 के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर में प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर ने उक्त प्रकरण में निर्णय करते हुए प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपनिवेशन तहसीलदार (इं.गा.न.प) कोलायत नं. 1 को प्रतिप्रेषित कर दी। अधीनस्थ न्यायालय उपनिवेशन तहसीलदार (इं.गा.न.प) कोलायत नं. 1 ने उक्त प्रतिप्रेषित प्रकरण में निर्णय करते हुए इंतकाल संख्या 141 दिनांक 26.03.08 को सही एवं नियमानुकूल मानते हुए उक्त वादगत भूमि को वन विभाग के नाम रिकॉर्ड में अंकन किया जावे के आदेश पारित कर दिए। अधीनस्थ न्यायालय उपनिवेशन तहसीलदार (इं.गा.न.प) कोलायत नं. 1 के उक्त आदेश दिनांक 19.02.2014 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि वन विभाग को शुद्व राजकीय भूमियों को वन विभाग हेतु इन शर्तो अध्याधीन अस्थाई आंवटन किया गया कि भूमि सिंचित होने पर वापस भूमि का कब्जा सुपुर्द करना होगा। इस कानूनी तथ्य की और अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलांट वादगत भूमि का खातेदार कृषक है। अपीलांट की भूमि को यदि सार्वजनिक प्रयोजानार्थ उपयोग में किया जाता है तो भूमि अवाप्ति की विधिवत कार्यवाही करे मुआवजा किये जाने का कानून में प्रावधान है। परन्तु फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की ओर गौर किये बिना ही अपीलांट आदेश पारित किया है जो विधि के सिद्धांतों के विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। वादगत भूमि अपीलांट की भूमि बैक में रहन है अधिनस्थ न्यायालय में प्रभावित पक्ष को सुने बिना अपीलाकृत आदेश पारित किया है। सर्वोच्य न्यायालय के जिन आदेशों का हवाला दिया है वे इन प्रकरण से भिन्न है। न्यायालय का निर्णय वन भूमि से संबंध में है जहां प्रकृति से घनी वन संपदा हो तथा बन्दोबस्त के दौरान जिसे वन भूमि दर्ज किया गया है। विवादित भूमि वन भूमि नही होकर कृषि भूमि है तथा अपीलांट के खातेदारी अधिकार की होने के कारण वन विभाग का इस भूमि से कोई संबंध नही हैं। नामांतरकरण की कार्यवाही कौरी कार्यवाही है। इससे ना तो किसी के अधिकार का सृजक होता है तथा ना ही अधिकार समाप्त किये जा सकते है। अपीलांट के खातेदारी अधिकारों एवं विक्रय विलेख आदि इससे प्रभावित नही हुए है। अपीलांट के स्वत्व संबंधी दस्तावेज अन्यथा सिद्ध नहीं होने तक नामांतरकरण वन विभाग के नाम दर्ज नही किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर के निर्णय दिनांक 25.07.2012 की पालना में कोई जांच नही की गई। ना ही न्यायालय उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर की निर्देशों के अनुसार कोई नियमानुसार वादगत भूमि की बाबत कोई जांच ही नही करवाई, इसलिए आदेश जैर अपील अधीनस्थ न्यायालय उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर के आदेशों के विपरित होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अपीलकृत आदेश निरस्त किया जाकर अपीलांट का नाम राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार टीनेन्ट के रूप में अंकित करने का आदेश फरमाया जावें।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर ने अपने पत्रांक एफ 5 (बी) उप/आबादी/83/10128—35 दिनांक 15.07.1985 से उप वन सरंक्षक रा.न.यो बैरियावाली को कुल 2248—10 बीघा असिंचित भूमि आवंटन की। इस आवंटन में चक 1 एएमआर के मुरब्बा नंबर 105/1 की 9 बीघा 105/2 की 25 बीघा तथा 105/3 की 6 बीघा कुल 40 बीघा का आवंटन भी तत्समय के खसरों में सम्मिलित था। राज्य सरकार के रिकॉर्ड में यह वन भूमि दर्ज है। उक्त 40 बीघा भूमि का कब्जा उसी समय वर्ष 1985 में प्राप्त कर भारतीय सेना की प्रादेशिकता पर्यावरण इकाई द्वारा चारागाहर विकास विकसित किए जा चुके है। अधीनस्थ न्यायालय उपनिवेशन

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

तहसीलदार (इं.गा.न.प) कोलायत नं. 1 के अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.02.2014 नियमानुसार जारी किया गया है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपनिवेशन तहसीलदार (इं.गा.न.प) कोलायत नं. 1 द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19.02.2014 को नामांतरकरण संख्या 141 दिनांक 26.03.2008 को सही एवं नियमानुकूल मानते हुए वादगत भूमि का पुनः वन विभाग के नाम रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश पारित किए। अधीनस्थ न्यायालय उपनिवेशन तहसीलदार (इं.गा.न.प) कोलायत नं. 1 ने अपीलधीन निर्णय करते हुए अंकित किया कि वादगत भूमि वन विभाग को आंवटित है। माननीय सर्वोचय न्यायालय के निर्देशानुसार वन विभाग को आवंटित भूमि अन्य प्रयोजनार्थ नही ली जा सकती है। भूमि के कमाण्ड होने के संबंध में राज्य सरकार ने पूर्व में जारी आदेश को प्रत्याह्नत कर लिया जा चुका है। वन विभाग के नाम रिकॉर्ड में अंकन नही होना विभाग की गलती है जिससे वन विभाग के अधिकार समाप्त नही हो जाते। वन विभाग की भूमि को अन्य के आवंटन, खातेदारी, बैयनामा, रहननामा आदि मौजूदार नियमों, निदेशों एवं निर्णयो के अन्तर्गत किया जाना अवैध है और अधीनस्थ न्यायालय उपनिवेशन तहसीलदार (इं.गा.न.प) कोलायत नं. 1 द्वारा आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर के आदेशों की पालना में नामांतरकरण संख्या 141 दिनांक 26.03.2008 को सही माना है। उपरोक्त विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचे हैं कि अधीनस्थ न्यायालय उपनिवेशन तहसीलदार (इं.गा.न.प) कोलायत नं. 1 का अपीलाधीन आदेश नियमानुसार उचित होने पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझतें है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपनिवेशन तहसीलदार (इं.गा.न.प) कोलायत नं. 1 का अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.02.2014 यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवरिथत रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 31.12.2025 का लिखिवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर